न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-021 (GCMS 2023-27)

1. चम्पालाल पुत्र गैनाराम जाति नाई
2. सांगाराम पुत्र गैनाराम जाति नाई
3. बुधाराम पुत्र गैनाराम जाति नाई
4. घेवरराम पुत्र गैनाराम जाति नाई
5. भागीरथ पुत्र गैनाराम जाति नाई
6. केशी पत्नी आसुराम जाति नाई
   सभी निवासीगण कनोडिया पुरोहितान
   तहसील सेखाला, जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म

1. भंवराराम के कायममुकामन--
   1.1. भोमाराम पुत्र भंवराराम जाति नाई
   1.2. जयकुमार पुत्र भंवराराम जाति नाई
   दोनों निवासीगण 38 सी द्वितीय पोलो
   करणी माता मन्दिर के पीछे
   चारण होस्टल के पास, जोधपुर
   1.3. श्रीमती अनिता पुत्री भंवराराम पत्नी सुन्दरलाल जाति नाई
   निवासी पावटा सी रोड गली नम्बर एक
   जोधपुर
   1.4. श्रीमती उषा पुत्री भंवराराम पत्नी नेमीचन्द जाति नाई
   निवासी तीसरी रोड, पावटा गली नम्बर तीन
   तहसील व जिला जोधपुर
2. श्रीमती चन्दा पत्नी अर्जुनसिंह जाति पुरोहित
   निवासी कनोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 16 जनवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 117/1999 भंवराराम के कायममुकामान बनाम चम्पालाल इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1.1 से 1.4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 11 जुलाई 2023

यह अपील अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 117/1999 भंवराराम के कायममुकामान बनात चम्पालाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 के खिलाफ दिनांक 18 जनवरी 2023 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी भंवराराम (रेस्पो. संख्या 1.1 से 1.4 के पूर्वज) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कनोडिया पुरोहितान स्थित आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ½ हिस्सा तथा बकाया ½ हिस्सा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 2 श्रीमती चन्द्रा का एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 576 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा में वादी भंवराराम का ½ हिस्सा तथा बकाया ½ हिस्सा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का होना जाहिर करते हुए नाप व सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 2008 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 074/2008 चम्पालाल व अन्य बनाम भंवराराम आदि दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 पारित करते हुए वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि पूर्व में प्रकरण रिमाण्ड करते हुए अदालत हाजा द्वारा विचारण न्यायालय को मामले में पक्षकारान की पुनः साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन निर्देशों की समुचित पालना नहीं की गयी और अपीलाण्ट्स को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली वादी-पक्ष की साक्ष्य में विचाराधीन रहने के दौरान वादी-पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी, ऐसी स्थिति में वादी-पक्ष की साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर प्रतिवादी-पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स को विचारण न्यायालय में साक्ष्य का अवसर नहीं दिये जाने पर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र भी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की आदेशिकाओं में अनुपस्थिति दर्ज की गयी जबकि अपीलाधीन निर्णय में उपस्थिति दर्शायी गयी है, जो विरोधाभासी है और इससे जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की बहस ही नहीं सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार सिमरथा के देहान्त के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उसके एकमात्र पुत्र गैनाराम के नाम दर्ज की गयी और गैनाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि बाबत गैनाराम के वारिसान अर्थात अपीलाण्ट्स को खातेदारी अधिकार अर्जित हुए। वादी-रेस्पो. द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. श्रीमती चन्द्रादेवी के पक्ष में किया गया बेचान अधिकारविहीन है तथा मौके पर आदिनांक भी उक्त चन्द्रादेवी का कब्जा नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 31 दिसम्बर 2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दिनांक 21 नवम्बर 2022 तक पक्षकारान को साक्ष्य हेतु पेशी दर पेशी अवसर दिये जाते रहे किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अन्ततः दिनांक 21 नवम्बर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य का अवसर बन्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा यह अभिकथन किया जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में उन्हें साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार सिमरथा पुत्र झुझा के तीन पुत्र लालुराम, रामुराम व गैनाराम हुए, इनमें से लालुराम व रामुराम का देहान्त सिमरथा के जीवन काल में हो गया, इस कारण सिमरथा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात पर गैनाराम पुत्र सिमरथाराम, भंवराराम उर्फ भंवरलाल पुत्र रामुराम (पौत्र सिमरथा) तथा मानी बेवा लालुराम का कब्जा काश्त रहा। कालान्तर में मानी बेवा लालु का भी लाऔलाद देहान्त हो जाने से वादग्रस्त आराजियात में उसका ⅓ हिस्सा नियमानुसार गेनाराम पुत्र सिमरथा तथा रामुराम के पुत्रों में निहित हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में ½ हिस्सा गैनाराम पुत्र सिमरथा तथा बकाया ½ हिस्सा भंवराराम पुत्र रामुराम का हुआ और राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दर्ज किया गया। बाद में खसरा संख्या 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा में से अपने आधे हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 21 दिसम्बर 1998 को प्रतिवादी-रेस्पो. श्रीमती चन्दादेवी को बेचान कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 472 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। तब से आदिनांक तक ग्राम कनोडिया पुरोहितान स्थित आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ½ हिस्सा तथा बकाया ½ हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 2 श्रीमती चन्द्रा का एवं खसरा संख्या 576 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण-रेस्पो. संख्या 1.1 से 1.4 के पूर्वज भंवराराम का ½ हिस्सा तथा बकाया ½ हिस्सा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी-रेस्पो. चन्द्रादेवी के पक्ष में किये गये बेचान को निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जोधपुर के प्रस्तुत मूल दावा बाबत निरस्त करने बेचाननामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया, जो मूल वाद संख्या 11/2011(65/1999) चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रा आदि दिनांक 14 दिसम्बर 2011 को मय खर्चा खारिज किया गया। जिसके खिलाफ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी अपील डिकी संख्या 22/2015 (55/2011) चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 14 सितम्बर 2018 को खारिज कर दी गयी तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल द्वितीय अपील संख्या 207/2018 चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 16 मार्च 2021 को खारिज की जा चुकी है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। जहाँ तक वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार सिमरथा पुत्र झूंझा के उत्तराधिकारियों एवं वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 620 के ½ हिस्से बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नी अर्जुनसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 21 दिसम्बर 1998 की वैधता के प्रश्न है, इनके संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जोधपुर द्वारा मूल दावा (बाबत निरस्त करने बेचाननामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा) संख्या 11/2011(65/1999) अनवान चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रा आदि मय खर्चा खारिज करते हुए पारित निर्णय दिनांक 14 दिसम्बर 2011 महत्वपूर्ण है। जिसमें माननीय न्यायालय ने भंवरलाल उर्फ भंवराराम को रामुराम की जायन्दा संतान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मानते हुए उसके द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. के पक्ष में आराजी खसरा संख्या 620 के ½ हिस्से बाबत निष्पादित किये गये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 21 दिसमबर 1998 को विधिसम्मतः करार दिया है। उक्त निर्णय खिलाफ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी अपील डिकी संख्या 22/2015 (55/2011) चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 14 सितम्बर 2018 को खारिज कर दी गयी तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल द्वितीय अपील संख्या 207/2018 चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 16 मार्च 2021 की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में अब इन प्रश्नों के संबंध में वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार के विवेचन की आवश्यकता एवं औचित्य ही नहीं रहता है।

अपीलाण्ट्स की ओर से अपील के जो अन्य आधार विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना और अदालत हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने संबंधित प्रस्तुत किये गये है, उनके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 31 दिसम्बर 2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में पेशी दिनांक 21 नवम्बर 2022 तक पक्षकारान को साक्ष्य हेतु पेशी दर पेशी अवसर दिये जाते रहे किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अन्ततः दिनांक 21 नवम्बर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य का अवसर बन्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा यह अभिकथन किया जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में उन्हें साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

चूंकि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 31 दिसम्बर 2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण पुनः संस्थित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर कार्यवाही करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में पेशी दिनांक 21 नवम्बर 2022 तक पक्षंकारान को साक्ष्य हेतु पेशी दर पेशी अवसर दिये जाते रहे किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गयी, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में कायम तनकियात बाबत पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या एक आया विवादित भूमि खसरा संख्या 576 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा मौजा कनोडिया पुरोहितान में वादी का ½ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का ½ हिस्सा होने से विवादित भूमि का वाद व प्रतिवादीगण 1 से 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने का वादी अधिकारी है (जिम्मे वादी) का निष्कर्ष वाद के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात के आधार पर वादी-रेस्पो. के पक्ष में पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श पी-1 जमाबंदी खतौनी ग्राम कनोडिया पुरोहितान संवत 2054-2057 में आराजी खसरा संख्या 620 व 576 बाबत आसुराम चम्पाराम सांगाराम बुधाराम घेवरराम भागीरथ पिसरान गेनाराम, भंवराराम पुत्र रामुराम कौम नाई साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा विशेष विवरण के कॉलम में "नोट - ना.क. संख्या 472 की स्वीकृति अनुसार ख.न. 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा किस्म बी-3 लगान 3.53 रु. में श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नी सुबेदार अर्जुनसिंह कौम पुरोहित ½ व आसूराम चम्पालाल सांगाराम बुधाराम घेवरराम भागीरथ पि. गेनाराम कौम नाई ½ साकिन देह खातेदार बाकी खाता बदस्तुर" अंकित है। अतः तनकी संख्या एक बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या दो आया विवादित भूमि खसरा संख्या 620 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा मौजा कनोडिया पुरोहितान की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रतिवादी संख्या 7 का ½ तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का ½ हिस्सा होने से इस भूमि का इस प्रकार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे (जिम्मे वादी) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष में किया गया है। तनकी संख्या एक बाबत किये गये विवेचन में वर्णित राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात एवं सिविल न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वाद एवं अपीलों आदि में पारित उपरोक्त वर्णित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में तनकी संख्या दो बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष उचित पाया जाता है।

तनकी संख्या तीन आया विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने के अधिकारी नहीं है तथा वाद इस आधार पर खरिज योग्य है (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6) का निष्कर्ष द्वारा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के खिलाफ पारित किया गया है, जो राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की होने तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना कानूनन अवधारित किये जाने के सुस्थापित सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित पाया जाता है। अतः तनकी संख्या तीन बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या चार आया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया गया बेचान अवैध होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध शून्य है तथा इस संबंध में सिविल न्यायालय में वाद 78/2000 विचाराधीन होने से वाद वादी चलने योग्य नहीं है (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6) का निस्तारण है (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 किया गया है। चूंकि उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जोधपुर द्वारा मूल दावा (बाबत निरस्त करने बेचाननामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा) संख्या 11/2011(65/1999) अनवान चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रा आदि मय खर्चा खारिज करते हुए पारित निर्णय दिनांक 14 दिसम्बर 2011 महत्वपूर्ण है। जिसमें माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय ने भंवरलाल उर्फ भंवराराम को रामुराम की जायन्दा संतान मानते हुए उसके द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. के पक्ष में आराजी खसरा संख्या 620 के ½ हिस्से बाबत निष्पादित किये गये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 21 दिसमबर 1998 को विधिसम्मतः करार दिया है। उक्त निर्णय खिलाफ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी अपील डिकी संख्या 22/2015 (55/2011) चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 14 सितम्बर 2018 को खारिज कर दी गयी तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल द्वितीय अपील संख्या 207/2018 चम्पालाल व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रादेवी इत्यादि दिनांक 16 मार्च 2021 की जा चुकी है। अतः तनकी संख्या 4 बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या 5 वादग्रस्त भूमि में वादी का ½ हिस्सा नहीं रहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा एवं काश्त है (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 किया गया है, जो तनकी संख्या एक, दो व तीन बाबत किये गये उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित पाया जाता है।

तनकी संख्या 6 आया भंवराराम एवं रामूराम का जन्म जोधपुर में हुआ तथा उसका पिता जोधपुर में रहता था तथा वहा पर देहान्त हो गया। इसलिए वादी कभी ग्राम कनोडिया पुरोहितान में नहीं रहा तथा विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 किया गया है, जो तनकी संख्या 3 व 5 बाबत किये गये विवेचन एवं पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से प्रकट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशों के अनुसरण में पक्षकारान को, साक्ष्य सुनवाई का

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ड्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2023 अपास्त किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.07.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. चम्पालाल पुत्र गैनाराम जाति नाई 2. सांगाराम पुत्र गैनाराम जाति नाई 3. बुधाराम पुत्र गैनाराम जाति नाई 4. घेवरराम पुत्र गैनाराम जाति नाई 5. भागीरथ पुत्र गैनाराम जाति नाई 6. केशी पत्नी आसुराम जाति नाई सभी निवासीगण कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला, जिला जोधपुर	ब ना म	1. भंवराराम के कायममुकामन-- 1.1. भोमाराम पुत्र भंवराराम जाति नाई 1.2. जयकुमार पुत्र भंवराराम जाति नाई दोनों निवासीगण 38 सी द्वितीय पोलो करणी माता मन्दिर के पीछे चारण होस्टल के पास, जोधपुर 1.3. श्रीमती अनिता पुत्री भंवराराम पत्नी सुन्दरलाल जाति नाई निवासी पावटा सी रोड गली नम्बर एक जोधपुर 1.4. श्रीमती उषा पुत्री भंवराराम पत्नी नेमीचन्द जाति नाई निवासी तीसरी रोड, पावटा गली नम्बर तीन तहसील व जिला जोधपुर 2. श्रीमती चन्द्रा पत्नी अर्जुनसिंह जाति पुरोहित निवासी कनोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 16 जनवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 117/1999 भंवराराम के कायममुकामान बनाम चम्पालाल इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 11 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत, मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित, मिनजानिब रेस्पो. संख्या 1.1 से 1.4 उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2023 अपास्त किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

11.7.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

11.7.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर